संख्या- 7- 279 / 38-6-15-07(एसआरएलएम) / 14

प्रेषक,

वी0हेकाली झिमोमी,

सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,

ग्राम्य विकास,

उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 12 मार्च, 2015

विषय- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की आजीविका स्किल्स योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विशेष परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 में प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम के पत्रांक-4012/79/एनआरएलएम/लेखा/2014-15, दि0-02.03.2015 के माध्यम से राज्यांश की धानराशि अवमुक्त करने के लिए प्रेषित विशेष परियोजना प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्रों के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा संस्तुत विशेष परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृत करते हुये, केन्द्रांश की धनराशि निर्गत की गयी है। स्वीकृत विशेष परियोजना प्रस्तावों हेतु केन्द्रांश के रूप में 75 प्रतिशत तथा राज्यांश के रूप में 25 प्रतिशत धनराशि निर्धारित की गयी है। केन्द्रांश की धनराशि चार किश्तों में 25:50:15:10 के अनुपात में स्वीकृत किये जाने का प्राविधान किया गया है।

2- संलग्न सूची में उल्लिखित भारत सरकार के पत्रों द्वारा केन्द्रांश की धनराशि एनआरएलएम योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 तथा वर्ष 2014-15 में एससीएसपी मद अनुदान सं0-83 में धनराशि अवमुक्त की गयी है। एससीएसपी मद अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 में अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 5,56,99,831-00 (रूपये पॉच करोड छप्पन लाख निन्यानबे हजार आठ सौ इकतीस मात्र) बनता है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- अत: अनुदान सं0-83 एससीएसपी मद के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में एनआरएलएम के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से हुई बजट व्यवस्था से मैचिंग राज्यांश रू0 5,56,99,831(रूपये पॉच करोड छप्पन लाख निन्यानबे हजार आठ सौ इकतीस मात्र) को आजीविका स्किल की विशेष परियोजनाओं हेतु आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन/मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार एवं केन्द्रांश प्राप्ति के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश की सीमा तक किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय एनआरएलएम के अन्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण व वितरण के लिये जनपदों के संबंधित अधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, उ0प्र0 लखनऊ को प्राप्त करायी जायेगी।

(2) अवमुक्त की जा रही मैचिंग राज्यांश की धनराशि में से, प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष ही तालिका में दी गई संस्थाओं के नाम के सम्मुख अंकित धनराशि संस्थाओं को परियोजनावार पृथक-पृथक उनकी फण्ड रूटिंग एजेन्सी को तत्काल उपलब्ध करायी जाये। धनराशि का आहरण राज्य सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में निर्धारित परिव्यय की सीमा के भीतर ही किया जायेगा।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को संबंधित कार्यदायी संस्था एवं को-आर्डिनेटेड संस्था द्वारा प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाय जिससे भारत सरकार से योजना में यथासमय द्वितीय किश्त प्राप्त हो सके। वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि 31 मार्च, 2015 को समर्पित कर दी जाएगी।

(4) यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/ सी.ई.ओ., यूपीएसआरएलएम द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि योजनान्तर्गत निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) इस संबंध में आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-

1-795/दस-2014-231/2014, दिनांक-14 मार्च, 2014 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत स्वीकृत की जाने वाली धनराशि को लेखाशीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम- आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-02-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-0201-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना(जिला योजना) (के.75/रा.25) के.+रा.-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश समाज कल्याण(बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन द्वारा दिये गये परामर्श एवं उनके शासनादेश दिनांक-29.03.2014 में प्राप्त निर्देशों के अनुरूप जारी किये जा रहे है। स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम द्वारा उक्त शासनादेशों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जाएगा।

भवदीया,

(वी0हेकाली झिमोमी)
सचिव।

<u>संख्या- -279(1)/38-6-15 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ.प्र. इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ.प्र. इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
4- सी.ई.ओ. नाबकान्स, तृतीय तल, सी-विंग प्लाट नं0-सी 24 जी-ब्लाक, बान्द्रा कुर्ला, बान्द्रा(ईस्ट) मुम्बई-400051

http://shasanadesh.up.nic.in

5- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, नवॉ तल, इन्दिरा भवन लखनऊ।

7- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।

8- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र. लखनऊ।

9- संबंधित संस्था द्वारा मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम।

10- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

11- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।

12-राज्य योजना आयोग-1/2

13-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in